

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-अराज/सामान्य/2024/217

दिनांक:- 26/04/2024

-:आदेश:-

निम्नांकित कार्मिक जो निदेशालय में अपने नाम के सम्मुख अंकित अवधि में आदेशों की प्रतीक्षा में रहे हैं, इस अवधि को राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-7(8)(बी)(III) के अन्तर्गत ड्यूटी पर माने जाने एवं उक्त नियमों के नियम-25 ए के अन्तर्गत आदेशों की प्रतीक्षा में रहने की अवधि का वेतन नियमानुसार आहरित करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

| क्र. सं. | कार्मिक का नाम | पदनाम | नवीन पदस्थापन स्थान | उपस्थिति अवधि | कार्य दिवस | उपस्थिति आदेश क्र.दि० |
|----------|--------------------|----------------|---|--------------------------|------------|-----------------------|
| 1 | विनोद कुमार काम्या | लैब टैक्निशियन | अधीक्षक हरिबक्स कॉवटिया चिकित्सालय शास्त्री नगर जयपुर | 13.03.2024 से 15.03.2024 | 3 | 169/12.04.2024 |

उक्त अवधि का वेतन एवं भत्ते संबंधित के पदस्थापन स्थान से अथवा जिले में उपलब्ध समकक्ष/उच्च रिक्त पद से आहरित किए जाने की स्वीकृती भी प्रदान की जाती है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वा० सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-अराज/सामान्य/2024/217

दिनांक:- 26/04/2024

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव महोदय, चिकि० एवं स्वा० विभाग, राज० जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकि० एवं स्वा० (ग्रुप 3) विभाग, राज० जयपुर।
3. संबंधित प्रशासनिक एवं नियंत्रक अधिकारी।
4. समस्त संबंधित अनुभाग, निदेशालय मुख्यालय।
5. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
6740159

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :25-04-2024 02:48:26